शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1107 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2021**

विषय–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1087 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 10.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थायें एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसर भौतिक रूप से बंद किये जाने एवं ऑनलाइन कक्षायें दिनांक 20.05.2021 तक स्थगित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थायें एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को संचालित किये जाने का निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

(1) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षायें / शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

(2) उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई–कन्टेण्ट अपलोड किये गये हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को इसका सर्वाधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।

(3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति / प्रधानाचार्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) शिक्षकों / छात्रों के संक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय उक्त छात्र–शिक्षक को पठन–पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड–19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।

(5) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में कार्यरत समूह–''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांकः लो0अ0वि0 / कु0स0का0 / 2021 / 737 दिनांकः 18 मई, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2 अधिष्ठता छात्र कल्याण / संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3 वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
4 प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी समस्त अनुभाग, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
5 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगइन आई0डी0 में अपलोड करने का कष्ट करें।
6 निजी सचिव, कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
7 पत्रावली।

कुलसचिव